

## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2011 जिला शाजापुर R-702-II/2011

1. हिम्मत सिंह पिता श्री हरिनारायण जी पाटीदार
2. लक्ष्मीनारायण पिता श्री खुमान सिंह पाटीदार सभी निवासीगण ग्राम कपालिया तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.)

चर्चन चतुर्वेदी कर्मा

द्वारा आदि 11-5-11 को प्रस्तुत

कलेक्टर ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शाजापुर
2. विष्णु प्रसाद पिता श्री शिवनारायण पाटीदार निवासी ग्राम कपालिया तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

शाखा प्रभारी (रा.अ.)  
कार्यालय महाद्विवक्ता, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 239/2010 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.04.2011 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

Chakureedi


223  
11-5-11

Chakureedi  
11/5/11

3.3.2016

निगरानी प्रकल्प क्रमांक 721-II/2015  
 में पाले आदेश दिनांक 9-12-2015  
 के विरुद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकल्प  
 क्रमांक 26-I/12 में दिनांक 10-2-16  
 को आदेश पाले किया जाकर  
 पुनर्विलोकन निरस्त किया गया है।  
 प्रकल्प के निराकरण परन्तु आभेकव  
 वापसी के समय यह प्रकल्प मूल  
 निगरानी प्रकल्प के साथ संलग्न पाया  
 गया है। यह निगरानी आयुक्त के  
 जिस आदेश दिनांक 25-4-11 के  
 विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, इसी आदेश  
 के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रकल्प  
 क्रमांक 721-II/11 का निराकरण  
 हो चुका है। अतः इस निगरानी  
 में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने  
 से समाप्त की जाती है।  
 2/ प्रकल्प दायित्व विवाद है।

  
 मं

  
 अध्यापक